पत्रांक–02/सिरीज–18/2015, परि0
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूणा कुमारी, बि0प्र0से0,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
कटिहार।

पटना, दिनांक .....

विषय :– जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1246, दिनांक–14.10.2026 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-39BE** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-39BD** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक (परिवहन)** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 02/सिरीज–18/2015, परि0 9402 पटना, दिनांक– 27.10.26

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को ई0–ऑक्शन में समाहित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-10-26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

9402

पत्रांक–02 / सिरीज–18 / 2015, परि0

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूणा कुमारी, बि0प्र0से0,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
कटिहार।

पटना, दिनांक 27-10-26

विषय :– जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1246, दिनांक–14.10.2026 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-39BE** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-39BD** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक (परिवहन)** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

26-10-26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।